कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

171, पुराना मम्फोर्डगंज, प्रयागराज–211002

संख्या– /दस–लाइसेंस–421/आबकारी नीति कियान्वयन/2019–20

प्रयागराज : दिनांक :04 फरवरी ,2019

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स के व्यवस्थापन/नवीनीकरण हेतु आवश्यक सूचना–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 243ई–2/तेरह–2019–02/2018 दिनांकित 02.02.2019 एवं शासनादेश संख्या–279 ई–2/तेरह–2019–02/2018 टी0सी0–II दिनांकित 04.02.2019 द्वारा तकनीकी कारणों से वर्ष 2019–20 हेतु नवीनीकृत न हो सकी निम्नलिखित प्रकार की मदिरा की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण प्रथम चरण की ई–लॉटरी से पूर्व कराये जाने का निर्णय लिया गया है–

(क) ऐसी दुकानें जिनके मूल अनुज्ञापी की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक उत्तराधिकारी का विवरण शॉप मास्टर में अंकित नहीं हो पाया है अथवा विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में दुकानों का नामांतरण प्रकियाधीन है।

(ख) ऐसी दुकानें जिन्हें जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा नवीनीकरण हेतु योग्य श्रेणी में त्रुटिवश मार्क नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ये दुकानें पोर्टल पर प्रदर्शित ही नहीं हो सकीं।

(ग) ऐसी दुकानें जिनके अनुज्ञापी/सह अनुज्ञापी शॉप मास्टर आधार नंबर त्रुटिपूर्ण अंकित होने के कारण स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत नहीं कर सके।

2– उपरोक्त प्रकार की अनवीकृत मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण हेतु समय–सारणी निम्नवत् निर्धारित की जाती है–

नवीनीकरण हेतु समय–सारणी

कमांक	विवरण	दिनांक
1	समस्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की सूची, सम्बन्धित देयताओं एवं आवश्यक अर्हताओं के विवरण के साथ स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति का प्रकाशन।	06–02–2019
2	नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रारम्भ	06–02–2019 पूर्वान्ह 10:00 बजे से
3	ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि व समय	06–02–2019 को समय 17:00 बजे तक

नोट :– 1– यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।

2– वर्ष 2019–20 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण विभागीय वेवसाइट **www.upexcise.in** पर देखा जा सकता है।

3– अधिक जानकारी के लिये जनपद के जिला आबकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क किया जा सकता है।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।